न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 54/2023 | दायर दिनांक 03.02.2023 | निर्णय दिनांक 11.03.2024

उनवान

1. अब्दुल सलीम पिता कमरूदीन मोमीन जाति मोमीन आयु वयस्क निवासी सांगानेर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगी लाल सेन
अधिवक्ता प्रार्थी श्री कन्हैया लाल सेन

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 1169, 720, 721 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3024 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहम्मद सलीम पुत्र कमरूदीन जुलाहा सां0 सांगानेर अंकित है। जबकि प्रार्थी का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में अब्दुल सलीम अंकित है। इसके साथ ही परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, में भी प्रार्थी का नाम अब्दुल सलीम अंकित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में, आधार कार्ड की फोटोप्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए मोहम्मद सलीम के बजाय अब्दुल सलीम नाम दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमशः 1169, 720, 721 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3024 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2069–2073 में मोहम्मद सलीम पुत्र कमरूदीन जुलाहा सां0 सांगानेर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम मोहम्मद सलीम के बजाय अब्दुल सलीम पिता कमरूदीन अंसारी नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमशः 1169, 720, 721 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3024 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित मोहम्मद सलीम पुत्र कमरूदीन अंसारी का नाम अब्दुल सलीम पिता कमरूदीन अंसारी निवासी सांगानेर नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा